सत्यमेव जयते

महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम-695 001
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), KERALA, THIRUVANANTHAPURAM - 695 001

P19/II/DRSSA-20/UK/2019-20 07 /06/2019

To

All District/ Sub Treasury Officers/Banks.

Sir,

Sub: Sanction for increase in dearness relief form 7% to 9% w.e.f. 01/07/2018 and from 9% to 12% w.e.f. 01/01/2019 to those civil/family pensioners of State ~~Government~~ Uttara Khand whose pension has been revised in terms of the recommendations of the Seventh Pay Commission-reg.

Ref:1.SSA No.P.A/Pension/Dearness Allowance/Uttarakhand/2018-19/4519 dated: 29/03/2019 from the office of the Accountant General (A&E), Uttarakhand.
2.GO No./XXVII(7)02/2016 Finance (GR-P.C.)Section-7 dated: 19/09/2018 from the Secretary , Government of Uttarakhand.
3. GO No./XXVII(7)02/2016 Finance (GR-P.C.)Section-7 dated: 07/03/2019 from the Secretary , Government of Uttarakhand.

I am to enclose herewith the copy of SSA received from the office of the Accountant General (A&E), Uttarakhand regarding sanction for increase in dearness relief form 7% to 9% w.e.f. 01/07/2018 and from 9% to 12% w.e.f. 01/01/2019 to those civil/family pensioners of State Government whose pension has been revised in terms of the recommendations of the Seventh Pay Commission . The same is being placed in the official website of the office (www.agker.cag.gov.in) under the link "***Treasury endorsement of orders for other state pensioners***" . A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasury.

Yours faithfully

7/6/19

Accounts Officer

Copy to:-
The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram

Accounts Officer

ई-मेल /Email: agaekerala@cag.gov.in फैक्स /Fax: 0471-2330242 टेलिफोन /Telephone: 0471-2776100
वेबसाइट /Website: http://www.agker.cag.gov.in

PM pm/2/mw/36
24.4.19

21009
12/4/19

(32)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड,

(महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195)
फोन न०: 0135-2643684 फैक्स न०: 0135- 2643683

P19/II/DRSA/20
29/04/19

पत्रांक-पी.ए./पेंशन/महंगाई राहत/उत्तराखण्ड/2018-2019/ 4519 दिनांक- 29.03.19

सेवा में,

	कार्यालय का नाम	राज्य	राजधानी	पिन कोड
1.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	गुजरात,	अहमदाबाद	380009
2.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मेघालय,	शिलोंग	793001
3.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आसाम,	गौहाटी	781029
4.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	झारखण्ड,	रांची	834002
5.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	बिहार,	पटना	800001
6.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	केरल,	तिरुवनंतपुरम	695039
7.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मध्यप्रदेश,	ग्वालियर	474002
8.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तमिलनाडु,	चेन्नई	600018
9.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	महाराष्ट्र,	मुंम्बई	400020
10.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II	महाराष्ट्र,	नागपुर	440001
11.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	कर्नाटक,	बैंगलुरु	560001
12.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	उडीशा,	भुवनेश्वर	751001
13.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पंजाब,	चंडीगढ़	160017
14.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हरियाणा,	चंडीगढ़	160047
15.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हिमाचल प्रदेश,	शिमला	171003
16.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	राजस्थान,	जयपुर	302005
17.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)II	उत्तर प्रदेश,	इलाहाबाद	211001
18.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पश्चिम बंगाल,	कोलकता	700001
19.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	जम्मू कश्मीर,	श्रीनगर	190009
20.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मणिपुर,	इम्फाल	795001
21.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	त्रिपुरा,	अगरतला	799006
22.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	नागालैंड,	कोहिमा	797001
23.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	छत्तीसगढ़,	रायपुर	492111
24.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मिजोरम,	आईजोल	796001
25.	वरिष्ठ उप-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	सिक्किम,	गंगटोक	737102
26.	वेतन एवं लेखा अधिकारी-V, पेंशन, तीस हजारी, नई दिल्ली,	नई दिल्ली	-	110124
27.	निदेशक, लेखा एवं कोषागार, गोवा सरकार,	गोवा,	पणजी	403101
28.	निदेशक, लेखा एवं खजाना, (सघ क्षेत्र)	पॉंडीचेरी	पॉंडीचेरी	605001
29.	निदेशक, लेखा परीक्षा एवं पेंशन	अरुणाचल प्रदेश,	नाहरलागन	791110
30.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आंध्रप्रदेश,	हैदराबाद	500004
31	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तेलंगाना	हैदराबाद	500004

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड,

(महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195)

फोन न०: 0135-2643684, फैक्स न०: 0135- 2643683

"विशेष मुद्रा प्राधिकार"

पत्रांक-पी.ए./पेंशन/2018-19 -

दिनांक-

सेवा में,

सभी प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (लेखा एवं हक़.) कार्यालय

विषय- राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियो के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को महंगाई राहत दिनांक:1 जुलाई 2018 से 07% से बढाकर 9% तथा 1 जनवरी 2019 से 9% से बढाकर 12% की स्वीकृति ।

संदर्भ :- (1) सचिव उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-7, संख्या-249/XXVII(7)02/2016 दिनांक:19/09/2018

(2) सचिव उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-7, संख्या-81(1) XXVII(7)02/2016 दिनांक:07/03/2019

(3) सचिव उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-7, संख्या-79(1) XXVII(7)02/2016 दिनांक:07/03/2019

महोदय,

वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी उपरोक्त संदर्भित शासनादेश की प्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं । आपसे अनुरोध है कि, उक्त आदेश अपने अधीनस्थ समस्त कोषाधिकारियों/पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराएं।

संलग्न-यथोपरि

भवदीय,

M.D. Kaudey

29.03.2019

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा0नि0–वे0आ0)अनुभाग–7
संख्या– /XXVII(7)02/16
देहरादूनः दिनांकः 19 सितम्बर, 2018

कार्यालय ज्ञाप

विषयः राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी पेंशन सातवें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित की गयी है को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–147/XXVII(7)02/2016 दिनांक 09 मई, 2018 द्वारा स्वीकृत दरों को अतिकमित करते हुए दिनांक 01 जुलाई, 2018 से 07 प्रतिशत के स्थान पर 09 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

3. यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

4. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–1–252/दस/10(3)–81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत मंहगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

5. मंहगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस से पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

Government of Uttarakhand
Finance (G.R-P.C.) Section-7
No- /XXVII(7)02/2016
Dehradun: Dated 19 Septembar, 2018

Office Memorandum

Subject: **Grant of Dearness Relief of such civil/family pensioners of the State Government whose pension is revised according with the recommendation of the 7th pay Commissions.**

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates w.e.f. 01-07-2018 @ 7% instead 9% superseding the earlier rates as is sanctioned vide this Office Memorandum No. 147/XXVII(7)02/2016 Dated 09 May, 2018 for those pensioners whose pension is revised according with the recommendation of the 7th pay Commissions.

2. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective.

3. These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at per with the pensioners of the State Government.

4. As per orders issued in Om No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.

5. Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

(Amit Singh Negi)
Secretary

(32)

संख्या– २४९/XXVII(7)02/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इस की प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 150 प्रतियाँ मुद्रित करा कर वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

No २४९/XXVII(7)02/2016, the dated.

Copy forwarded to following for information and necessary action.

1- All Additional Chief Secretary/ Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of Uttarakhand.
2- Additional Chief Secretary/Secretary, Public Industry Development Department/Urban Development, Govt. of Uttarakhand with the request that the admisibility of D.A. may be permitted itself in the view of financial status of the bodies/sector and there is no need of finance Department Consent.
3- All Commissioner/District Magistrate, Uttarakhand.
4. All Head of Department /Offices, Uttarakhand.
5. Accountant General Uttrakhand, Oberoy Building Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
6. Director, Treasury, Pension and Hukdari, Utatrakhand .
7. Director, Departmantal Accounts, 23 Laxmi Road, Dalanwala, Dehradun Uttarakhand .
8. All Chief/Senior Treasury Officers/ Treasury Officers, Uttarakhand.
9. Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 150 copies of this G.O. be got printed and sent to the Finance Section-7, Govt. of Uttarakhand .
10. Director, NIC Dehradun.

By Order,

(Amit Singh Negi)
Secretary

(32)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा0नि0–वे0आ0)अनुभाग–7
संख्या– – / XXVII(7)02/2016
देहरादून: दिनांक:07 मार्च, 2019

कार्यालय ज्ञाप

विषय: राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी पेंशन सातवें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित की गयी है को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–249/XXVII(7)02/2016 दिनांक 19 सितम्बर, 2018 द्वारा स्वीकृत दरों को अतिकमित करते हुए दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 09 प्रतिशत के स्थान पर 12 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपकम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

3. यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

4. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–1–252/दस/10(3)–81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत मंहगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

5. मंहगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस से पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

Government of Uttarakhand
Finance (G.R-P.C.) Section-7
No- – /XXVII(7)02/2016
Dehradun: Dated 07 March, 2019

Office Memorandum

Subject: Grant of Dearness Relief of such civil/family pensioners of the State Government whose pension is revised according with the recommendation of the 7th pay Commissions.

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates w.e.f. 01-01-2019 @ 9% instead 12% superseding the earlier rates as is sanctioned vide this Office Memorandum No. 249/XXVII(7)02/2016 Dated 19 September, 2018 for those pensioners whose pension is revised according with the recommendation of the 7th pay Commissions.

2. These orders will not be applicable to the judges of Honble High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective Deptt.

3. These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at per with the pensioners of the State Government.

4. As per orders issued in Om No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.

5. Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

(Amit Singh Negi)
Secretary

AAO/Pension
26.03.2019

संख्या– 3। (1)/XXVII(7)02/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इस की प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 150 प्रतियाँ मुद्रित करा कर वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

No 3/ (1)/ XXVII(7)02/2016, the dated,

Copy forwarded to following for information and necessary action.

1- All Additional Chief Secretary/ Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of Uttarakhand.
2- Additional Chief Secretary/Secretary, Public Industry Development Department/Urban Development, Govt. of Uttarakhand with the request that the admisibility of D.A. may be permitted itself in the view of financial status of the bodies/sector and there is no need of finance Department Consent.
3- All Commissioner/District Magistrate, Uttarakhand.
4. All Head of Department /Offices, Uttarakhand.
5. Accountant General Uttrakhand, Oberoy Building Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
6. Director, Treasury, Pension and Hukdari, Uttrakhand.
7. Director, Departmantal Accounts, 23 Laxmi Road, Dalanwala, Dehradun Uttarakhand.
8. All Chief/Senior Treasury Officers/ Treasury Officers, Uttarakhand.
9. Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 150 copies of this G.O. be got printed and sent to the Finance Section-7, Govt. of Uttarakhand.
10. Director, NIC Dehradun.

By Order,

(Amit Singh Negi)
Secretary

प्रेषक,

संख्या– ⁄XXVii(7)02/2016

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7

देहरादून: दिनांक 07 मार्च, 2019

विषय: राज्य सरकार के कार्मिकों, स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कार्मिकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है को अनुमन्य मंहगाई भत्ते की दरों का पुनर्निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–248/XXVII(7)/02/2016 दिनांक 19 सितम्बर, 2018 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान, राजकीय विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के ऐसे कार्मिकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है, को मंहगाई भत्ता दिनांक 01 जनवरी, 2019 से उन्हें अनुमन्य मूल वेतन के 9% की विद्यमान दर से बढ़ाकर 12% प्रतिमाह किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त कर्मियों को पुनरीक्षित मंहगाई भत्ता दिनांक 01 जनवरी, 2019 से मार्च, 2019 तक (सेवानिवृत्त एवं 06 माह के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को नगद भुगतान) की बढ़ी हुई धनराशि उनके भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी तथा माह अप्रैल, 2019 का वेतन, जो माह मई, 2019 में देय होगा से नकद भुगतान किया जायेगा। अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के अवशेष (एरियर) देयक में से 10% पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी तथा शेष धनराशि नगद भुगतान की जायेगी।

3. मंहगाई भत्ता स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित किये गये हैं, यथावत लागू रहेंगे।

4. उक्त वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उक्तवत् स्वीकृत मंहगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

कमशः.........2

संख्या– 77 (1)/XXVII(7)02/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास/आवास विभाग/सार्वजनिक उद्यम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपने अधीनस्थ निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में यथाप्रकिया स्वयं निर्णय लेने का कष्ट करें।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
7. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर/देहरादून।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. निदेशक, लेखा हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
11. निदेशक, आडिट, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

Office of the Accountant General (A& E), Uttarakhand

Mahalekhakar Bhawan, Kaulagarh, Dehradoon-248195
Phone No. 0135-2643684, Fax No. 0135-2643683

"Special Seal Authorization"

No. PA/Pension/2018-19 **Dated**

To

All office of the Principal Accountant GeneralAccountant General (A&E)

Sub:- Sanction for increase in dearness relief from 7% to 9% w.e.f. 1 July, 2018 and from 9% to 12% w.e.f. 1 Januray 2019 to those civil/family pensioners of State Government whose pension has been revised in terms of the recommendations of the Seventh Pay Commission.

Ref: (1) Secretary, Government of Uttarakhand, Finance Section-7, No. 249/XXVII(7) 02/2016 dated 19.09.2018

(2) Secretary, Government of Uttarakhand, Finance Section-7, No. 81(1)XXVII (7)02/2016 dated 07.03.2019

(3) Secretary, Government of Uttarakhand, Finance Section-7, No. 79(1)XXVII (7)02/2016 dated 07.03.2019

Sir,

Copies of the above orders issued by the Department of Finance, Government of Uttarakhand are being sent enclosed herewith. You are requested that the above orders may be circulated to all the Treasury Officers/Pension Payment Officers under your jurisdiction with the direction to take action as per rules and the action taken may be informed to this office also.

Encl: as above.

Yours Faithfully,
Sd/-
Sr Accounts Officer/Pension

No. /XXVII(7)02/2018

From

Amit Singh Negi
Secretary,
Government of Uttarakhand

To

1. All Addl Chief Secretary, Government of Uttarakhand
2. All Principal Secretary, Government of Uttarakhand
3. All Secretary/Secretary In-charge, Government of Uttarakhand
4. All Heads of Department/Heads of Office, Uttarakhand

Finance (P.C.-G.R.) Section-7 Dehradoon, Dated 07th March, 2019

Sub: Re-fixation of rates of DA admissible to State Government employees, employees of local bodies, aided educational institutions, Govt Universities and technical educational institutions who have been allowed the Seventh Revised Pay scale - reg.

Sir,

In continuation to GO No. 248/XXVII(7)/02/2016 dated 19th September, 2018, I have been directed to state that the Honourable Governor is pleased to accord sanction to increase the Dearness Allowance of those employees of the State Government, local bodies, aided educational institutions, Govt Universities and technical educational institutions who have been allowed the Seventh Revised Pay scale, to 12% per month from the existing rate of 9% of basic pay admissible to them, w.e.f. 01st January, 2019.

2. The increased amount of revised dearness allowance from 01 January, 2019 to 01 March, 2019 (cash payment to employees retired or retiring within 06 months) to the above employees shall be credited in their Provident Fund account and cash payment shall be made from the pay for the month of 01 April, 2019 which is payable in the month of May, 2019. From the arrear payable to the employees covered under Contributory Pension Scheme, 10% pension contribution and equivalent amount from the employer's part shall be deposited in the concerned account of new pension scheme and the remaining amount shall be paid in cash.

3. Other terms and conditions regarding sanctioning of dearness allowance as prescribed in the Government Orders issued earlier shall be applicable as it is.

4. The dearness allowance sanctioned as above under the above mentioned terms and conditions shall be admissible to All India Service Officers also.

Yours faithfully,
/
(Amit Singh Negi)
Secretary